संख्या–वि० क०-1-5731 / दस-94/89

प्रेषक :

नृपेन्द्र मिश्र
सचिव
संस्थागत वित्त
उ० प्र० शासन

सेवा में,

आयुक्त बिक्रीकर
उत्तर प्रदेश लखनऊ

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : अक्तूबर 31, 1989

विषय : बिक्रीकर विभाग के पदोन्नत बिक्रीकर अधिकारी / सहायक आयुक्त एवं उपायुक्त आदि का पृथक "उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (पदोन्नत) संघ" को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-स्था-I-जनरल-बिक्रीकर-2928 / बिक्रीकर दिनांक 27 सितम्बर 1989 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश सेवा "संघों को मान्यता" नियमावली 1979 के नियम-4 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन "उत्तर प्रदेश बिक्रीकर सेवा (पदोन्नत) संघ" को मान्यता प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियमावली के नियम-5 (ज) के अन्तर्गत संघ केवल एक मान्यता प्राप्त परिसंघ से ही सम्बद्ध होगा। शासन द्वारा अनुमोदित संघ के संविधान की एक प्रति संलग्न है।

भवदीय,

(नृपेन्द्र मिश्र)
सचिव संस्थागत, वित्त

संख्या वि० क०-1-5731111/दस-94/89 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :

1- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बिक्रीकर सेवा (पदोन्नत) संघ, 32 स्टेशन रोड, लखनऊ द्वारा आयुक्त बिक्रीकर
2- कार्मिक अनुभाग-4

आज्ञा से,

(डा० वी० एन० तिवारी)
संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner